

विजयवर्गीय(वैश्य)राज सेवक हितकारी सहकारी समिति लि०
उप नियम

1.	नाम	समिति का नाम- विजयवर्गीय(वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि.जयपुर होगा जिसे आगे "समिति" कहा गया है ।
2.	पता	समिति का पंजीकृत कार्यालय- 547,महावीर नगर,टॉक रोड, जयपुर
3.	कार्यक्षेत्र	समिति का कार्यक्षेत्र विजयवर्गीय (वैश्य)राजसेवक परिषद,जयपुर के सदस्यों तक समिति होगा ।
4.	उद्देश्य	सदस्यों के आर्थिक हितों को सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार बढ़ावा देने हेतु समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :- क- सदस्यों में बचत,स्वयं सहायता एवं सहकारिता को बढ़ावा देना । ख- सदस्यों को उचित दरों पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु फण्ड्स एकत्रित करना/निर्मित करना । ग- सदस्यों को उचित दरों पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराना । घ- सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं का क्रय विक्रय करना । ङ- अन्य ऐसे कार्य करना जो सदस्यों को सामाजिक नैतिक एवं आर्थिक दशा की उन्नति में सहायक हो एवं जो राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत हो ।
5.	सदस्यता	प्रत्येक व्यक्ति जो विजयवर्गीय(वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर का सदस्य हो, इस समिति का सदस्य हो सकता है :- क- प्रारम्भ में वे व्यक्ति सदस्य होंगे जो समिति की रजिस्ट्री के आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे । इसके पश्चात किसी व्यक्ति की सदस्यता, उसके सदस्यता संबंधी आवेदन पत्र को प्रबन्धकारिणी द्वारा स्वीकार करने पर ही मानी जावेगी । ख- ऐसे व्यक्ति जिन्हें विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर से निष्कासित कर दिया हो या परिषद की सदस्यता या अन्य शुल्क चुकाने में दोषी हो, इस समिति का सदस्य नहीं हो सकेगा । ग- प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सदस्यता बनना चाहता है, द्वारा आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क 10/- रुपये एवं समिति के कम से कम एक हिस्से की राशि रुपये 100/- जमा कराना आवश्यक होगा तथा अनिवार्य अमानत राशि रुपये 2000/- जमा करानी होगी । घ- समिति का कोई भी सदस्य समिति की कार्य समिति को दो माह पूर्व सूचना देकर कभी भी सदस्यता छोड़ सकता है बशर्त न तो उसकी ओर समिति की कोई राशि बकाया है या न वह किसी ऋणी का जमानतदार है । ङ- कोई सदस्य कार्य समिति द्वारा समिति से पृथक किया जा सकता है :- अ- यदि वह लगातार समिति को समय पर अपने ऋण की खन्दी (किश्त) नहीं देता हो, ब- यदि वह समिति को धोखा देता हो, स- यदि वह न्यायालय से ऐसे अपराध में, जो नैतिक पतन से संबंध रखता हो, दण्ड पा चुका हो, द- यदि वह समिति को हानि पहुंचाने का प्रयास करता हो, च- एक व्यक्ति की सदस्यता निम्न स्थिति में समाप्त समझी जावेगी - 1- उसकी मृत्यु हो जाने पर 2- उसके द्वारा त्याग पत्र देने पर 3- उसे समिति कार्यकारिणी द्वारा पृथक करने पर 4- उसके विजयवर्गीय (वैश्य)राजसेवक परिषद, जयपुर का सदस्य नहीं रहने पर 5- राजस्थान सहकारिता संस्था अधिनियम एवं नियमों में वर्णित अयोग्यता प्राप्त करने पर
6.	उत्तरदायित्व	1- प्रत्येक सदस्य का समिति के प्रति उत्तरदायित्व उसके द्वारा समिति की अंशपूजी में किये गये अंशदान तक सीमित होगा । 2- समिति का कोई सदस्य जो समिति से लिये गये ऋण या अन्य दायित्व देय तिथि को चुकाने में लगातार तीन माह तक दोषी रहता है तो उसे चूककर्ता (डिफाल्टर) सदस्य माना जावेगा एवं वह निम्न के लिये अयोग्य रहेगा : अ- वह किसी अन्य सहकारी संस्था में समिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा । ब- वह कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नियुक्त हेतु अयोग्य होगा अथवा सदस्य नहीं रह सकेगा ।
7.	समिति के फण्ड्स	समिति द्वारा निम्न प्रकार से संसाधन एकत्रित कर सकेगी - 1- सदस्यों से प्रवेश शुल्क एवं हिस्सा पूंजी प्राप्त करके 2- सदस्यों से कम्पलसरी अमानतें प्राप्त करके 3- अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके 4- सुरक्षित तथा अन्य कोष 5- लाभ तथा अन्य शुल्क 6- सरकार से अनुदान, ग्रांट, डोनेशन प्राप्त करके एवं अन्य साधनों से ।
8.	हिस्सा पूंजी	1- समिति की कुल हिस्सा पूंजी रुपये 20.00 लाख होगी जो कुल 20000 हिस्सों में विभाजित होगी । समिति का एक हिस्से रुपये 100/- का होगा । 2- समिति का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम एक हिस्सा क्रय करना आवश्यक होगा । 3- समिति द्वारा आवंटित हिस्से अहस्तान्तरणीय होंगे । 4- एक सदस्य अधिकतम 100 हिस्से ही क्रय कर सकेगा । 5- हिस्सों के प्रमाण पत्र दिये जावेंगे जिन पर समिति के अध्यक्ष तथा मंत्री के हस्ताक्षर होंगे, लेकिन ऐसे प्रमाण पत्र क्रय किये हुये हिस्से अथवा हिस्सों का मूल्य पूर्ण जमा होने पर दिये जा सकेगे ।

		<p>6- यदि कोई प्रमाण पत्र खो जावे अथवा नष्ट हो जावे तो उसकी प्रतिलिपि एक रूपया जमा कराने पर दी जा सकेगी।</p> <p>7- प्रत्येक सदस्य अपने उत्तराधिकारी का नाम अथवा ऐसे व्यक्ति का नाम समिति को लिखित में दे सकता है जिसे कि उसकी मृत्यु की दशा में उनके क्य किये हुये हिस्सों का तत्सम्बन्धी धन या अन्य कोई धन जो उसके नाम से समिति में जमा हो, दिया जा सके अथवा उसके नाम जमा किया जा सके।</p> <p>8- किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा नियत किये हुये व्यक्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के अभाव में उस व्यक्ति को लोटाया जा सकता है जिसके कार्य समिति राजकीय कानून से उसका वास्तविक उत्तराधिकारी समझे किन्तु ऐसे व्यक्ति से (इन्डेमिनिटी बॉन्ड) क्षतिपूर्ति पत्र अंकित कराना आवश्यक होगा। आवश्यक होने की दशा में ऐसा द्रव्य उसके वैध संरक्षक द्वारा प्राप्त हो सकेगा।</p>
9.	अमानतें	<p>1- समिति की प्रबन्धकारिणी सदस्यों से कम्पलसरी अमानतें/रेकरिंग/मियादी अमानतें प्राप्त करने हेतु योजना बनाने, ब्याज दरें तय करने एवं आवश्यक नियम बनाने आदि के लिये सक्षम होगी।</p> <p>2- प्रारंभ में समिति के संसाधनों में वृद्धि हेतु प्रत्येक सदस्य 200 रुपये प्रतिमाह दस माह तक समिति कोषाध्यक्ष को कम्पलसरी अमानत के रूप में जमा करवायेगा। प्रथम किश्त सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र के सथा जमा करानी होगी। यह राशि समिति के पास तीन वर्ष तक जमा रहेगी। इस राशि पर प्रबन्धकारिणी द्वारा निर्धारित दर से ब्याज दिया जावेगा।</p> <p>3- यदि कोई सदस्य कम्पलसरी अमानत राशि प्रत्येक माह की दस तारीख तक जमा नहीं कराता है तो उसे 10 रुपये विलम्ब शुल्क प्रत्येक किस्त के हिसाब से प्रति माह देने होंगे।</p> <p>4- प्रत्येक सदस्य को उक्त कम्पलसरी अमानत की दस माह की राशि एक मुश्त जमा कराने की स्वतंत्रता होगी।</p> <p>5- समिति कार्यकारिणी सदस्यों से मियादी अमानतें एवं रेकरिंग अमानतें प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगी। अमानतों पर ब्याज का भंगतान 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जावेगा। ब्याज दरों में आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवर्तन का अधिकारी प्रबन्धकारिणी को होगा।</p>
10.	उधार ग्रहण	<p>1- समिति अपने सदस्यों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यकता होने पर अन्य संस्थाओं से ऋण उधार ले सकेगी। उधार ग्रहण बाबत अधिकतम सीमा जो समिति की साधारण सभा में तय होगी, उस सीमा तक उधार ग्रहण करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी को होगा।</p>
11.	फण्ड्स मैनेजमेन्ट	<p>1- समिति के नाम से बचत खाता किसी वाणिज्यिक/सहकारी बैंक में खोला जावेगा जिसमें समिति को प्राप्त होने वाली समस्त राशियां जमा करायी जावेगी।</p> <p>2- बचत खाते से चैक द्वारा समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव में से किसी एक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकाली जा सकेगी।</p> <p>3- समिति के पास उपलब्ध कोषों का उपयोग प्रबन्धकारिणी द्वारा समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के कार्यों में किया जावेगा साथ ही सरप्लस फण्ड्स को लाभदायक स्त्रों में विनियोग का अधिकार भी प्रबन्धकारिणी को होगा।</p> <p>4- समिति के सदस्यों को ऋण स्वीकृत करने व ऋण वितरण करने, ब्याज की वसूली करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी को होगा।</p> <p>5- सदस्यों से अमानतें प्राप्त करने एवं प्राप्त अमानतों को लौटाने का अधिकार प्रबन्ध समिति को होगा।</p>
12.	ऋण	<p>1- प्रत्येक सदस्य जिसे ऋण लेने की आवश्यकता हो अपना प्रार्थना पत्र मय रुपये 10 शुल्क के कोषाध्यक्ष को देना होगा। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व जमानतदार के हस्ताक्षर होंगे जिसे कोषाध्यक्ष द्वारा ऋण रजिस्टर में दर्ज करना होगा।</p> <p>2- ऋण सामान्यतः पहले आओ पहले पाओ, के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा, परन्तु सदस्य की स्वयं अथवा परिवार सदस्य की बीमारी या पुत्री की शादी या अन्य विशेष कार्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृति का अधिकार प्रबन्धकारिणी को होगा।</p> <p>3- राशि की उपलब्धता पर प्रबन्धकारिणी द्वारा सदस्य की जमा हिस्सा राशि के 8 गुणा तक ऋण स्वीकृत किया जावेगा। जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 24000 होगी।</p> <p>4- सदस्य द्वारा ऋण की अदायगी अधिकतम 20 बराबर किश्तों में करनी होगी जो प्रत्येक माह की 10 जारीख तक जमा करानी आवश्यक होगी।</p> <p>5- सदस्य द्वारा किश्त की अदायगी देय तिथि तक करने में चूक करने पर प्रत्येक किस्त पर तीन रुपये प्रति सैकडा प्रति वर्ष विलम्ब शुल्क जमा कराना होगा। दो किस्त की चूक हो जाने पर समिति के पदाधिकारी सदस्य से राशि जमा कराने का आग्रह करने हेतु सदस्य के निवास पर पहुंच सकेंगे।</p> <p>6- ऋण की शर्तों में परिवर्तन करने एवं ब्याज दरों के निर्धारण का अधिकार प्रबन्धकारिणी को होगा।</p> <p>7- ऋण की सुरक्षा में दो सदस्यों की व्यक्तिगत जमानत ली जावेगी। प्रत्येक सदस्य को ऋण एवं जमानत दायित्व रुपये 60000 से अधिक नहीं होगा।</p> <p>8- ऋण पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जावेगा जो प्रतिमाह ऋण की किश्त के साथ कराना होगा एवं प्रति माह मूल बकाया कम होने के साथ ही कम होता जावेगा। उदाहरणार्थ रुपये 24000 पर प्रथम माह में 180 रुपये, दूसरे माह में 171 रुपये एवं तीसरे माह में रुपये 162 आदि आदि। ऋण पर ब्याज दर में समय समय पर परिवर्तन करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी को होगा।</p>
13.	लाभ वितरण	<p>1- समिति के शुद्ध लाभों का <u>वितरण/समायोजन</u> निम्न प्रकार से किया जावेगा :-</p> <p>अ- शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत भाग सुरक्षित कोष में ट्रांसफर किया जावेगा।</p> <p>ब- शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत भाग सहकारिता शिक्षा कोष में दिया जावेगा।</p> <p>स- शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत भाग सदस्यों के जनहितकार्य में खर्च किया जावेगा जो वार्षिक बैठक में तय किया जावेगा।</p> <p>द- शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत भाग विजयवर्गीय (वैश्य)राजसेवक परिषद,जयपुर को जनहित कार्य जैसे समाज के ऐसे व्यक्ति की सहायता जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हो आदि हेतु दिया जावेगा।</p> <p>य- शेष लाभों का उपयोग रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग की स्वीकृति से सदस्यों को लाभांश वितरण करने में, कॉमन गुड फण्ड में, डोनेशन देने में, सदस्यों/कर्मचारियों को बोनस देने में काम में लिया जावेगा।</p>
		प्रबन्ध व्यवस्था

14.	साधारण सभा	<p>1- समिति के कार्य संचालन के सर्वाधिकार साधारण सभा को प्राप्त होंगे ।</p> <p>2- साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बाहर 30 सितम्बर से पूर्व सचिव द्वारा बुलाई जानी आवश्यक होगी । वर्ष में अन्य बुलाई गयी बैठक विशेष अधिवेशन माना जावेगा ।</p> <p>3- समस्त सभाओं में अध्यक्ष सभापति का कार्य करेंगे । विजयवर्गीय(वैश्य)राजसेवक परिषद,जयपुर के अध्यक्ष इस समिति का एक्स आफिसियों अध्यक्ष होंगे । उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।</p> <p>4- विशेष साधारण सभा का आयोजन कभी भी, अध्यक्ष अथवा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों से बहुमत से या रजिस्ट्रार के आदेश से या कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों द्वारा लिखित में आवेदन करने पर सचिव द्वारा आयोजित की जावेगी ।</p> <p>5- वार्षिक साधारण सभा के कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 1/5 अथवा 30 सदस्य जो भी कम हो, सदस्यों का होगा । कोरम पूर्ण नहीं होने पर सभा एक घंटे के लिये स्थगित की जावेगी । उसके बाद बिना कोरम के भी सभा की कार्यवाही संचालित होगी ।</p> <p>6- वार्षिक साधारण सभा में निम्न कार्य किये जावेंगे :- अ- नियमानुसार प्रबन्धकारिणी के सदस्यों का चुनाव । ब- समिति के गत वर्ष के कार्य विवरण, अंतिम लेखे (बैलेन्स शीट लाभ-हानि खाते, आडिट रिपोर्ट पर विचार करना एवं वार्षिक रिपोर्ट को अंगीकार करना । स- राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम,2001 दी राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 2003 व समिति के उप नियमानुसार समिति के लाभों का निष्पादन करना । द- सदस्यों की अधिकतम साख सीमा का निर्धारण करना । ड.- समिति के कारोबार को चलाने के लिये कार्य समिति द्वारा ऋण प्राप्त करने की सीमा निर्धारित करना । समिति की अधिकतम उधार ग्रहण राशि का निर्धारण करना । च- कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य विषयों पर विचार करना, अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त अन्य विषयों पर विचार करना । य- अन्य कार्य - अध्यक्ष की अनुमति से ।</p> <p>7- समस्त सभाओं में अध्यक्ष सभापति का कार्य करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में वह सदस्य सभापति का कार्य करेगा, जो उस सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से उस पद के लिये चुना जावेगा ।</p> <p>8- प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा । किसी सदस्य के परोक्ष में अन्य व्यक्ति को उसका मत देने का अधिकार नहीं होगा ।</p> <p>9- समस्त विषयों का बहुमत से निर्णय किया जावेगा । बराबर मत होने की अवस्था में सभापति को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।</p> <p>10-प्रत्येक सभा का कार्य विवरण एक रजिस्टर में लिखा जावेगा और उसके सही होने के प्रमाण में सभापति तथा मंत्री उस पर हस्ताक्षर करेंगे ।</p>
15.	प्रबंध समिति	<p>1- समिति की प्रबन्ध व्यवस्था एक प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा की जावेगी जिसके निम्नानुसार 11 सदस्य होंगे : क- पदेन (एक्स आफिसियों)-अध्यक्ष ख- उपाध्यक्ष ग- सचिव घ- कोषाध्यक्ष एवं अन्य 7 चुने गये सदस्य ।</p>
		<p>2- कार्यकारिणी के उपरोक्त सदस्यों (पदेन अध्यक्ष के अलावा) को समिति की वार्षिक साधारण सभा में दो वर्ष के लिये चुना जावेगा । यदि दो वर्ष की अवधि में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति शेष सदस्य कर सकेंगे । प्रत्येक दो वर्ष में वार्षिक साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी के इन सदस्यों का चुनाव किया जावेगा ।</p> <p>3- कार्य समिति की बैठक जब जब आवश्यकता हो, बुलाई जावेगी और महीने में कम से कम एक बार निश्चित तारीख पर अवश्य हुआ करेगी ।</p> <p>4- साधारणतया कार्यसमिति की बैठक के निमित्त 1 दिवस पूर्व सूचना दी जावेगी । कार्य समिति का कोरम समस्त सदस्यों का आधा भाग होगा । कोरम पूर्ण न होने की दशा में सभा स्थगित करदी जावेगी और स्थगित सभा का कोरम उपरोक्त संख्या का आधा होगा, किन्तु ऐसी सभा में किन्ही नवीन विषयों पर विचार नहीं हो सकेगा ।</p> <p>5- कोई हिस्सेदार कार्य समिति की सदस्यता के उपयुक्त नहीं समझा जावेगा, यदि वह:- अ- 1- 21 वर्ष से कम आयु का हो, 2- निर्धन होने का प्रार्थी हो या प्रमाणित निर्धन हो, 3- गूंगा, बहरा, पागल अथवा कोढी हो, 4- किसी न्यायालय से अनैतिक अपराध पर दण्ड पा चुका हो, 5- समिति में वैतनिक कार्य करता हो, 6- बिना उचित कारण समिति का दोषी हो । ब- कार्यसमिति का कोई सदस्य समिति से पृथक समझा जावेगा यदि वह - 1- समिति का हिस्सेदार नहीं रहता है अथवा बिना किसी उचित कारण दोषी है, 2- निर्धन के प्रमाण पत्र के लिये प्रार्थना करता हो या प्रमाणित हो चुका हो, 3- पागल,गूंगा, बहरा अथवा कोढी हो, 4- समिति के विरुद्ध कोई कार्य करता हो जिससे समिति को हानि पहुंच सकती हो, 5- समिति के अन्तर्गत वैतनिक कार्य करने लग गया हो, 6- बिना किसी कारण के समिति की तीन लगातार, कार्य समिति की बैठक में अनुपस्थित रहा हो ।</p>

		<p>6- कार्य समिति की समस्त सभाओं में अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में कोई भी उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य सभापति का कार्य करेगा । प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा । समान मत होने की दशा में केवल सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।</p> <p>7- कार्य समिति के कोई सदस्य ऐसे वाद-विवाद में जिससे उनका व्यक्तिगत संबंध हो, मत नहीं दे सकेंगे ।</p> <p>8- समस्त विषय जिन पर वाद-विवाद अथवा निर्णय किया गया हो उनका विवरण एक रजिस्टर में लिखा जावेगा उस पर सही होने के प्रमाण पत्र सभापति व मंत्री हस्ताक्षर करेंगे ।</p> <p>9- कार्य-समिति के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- नये सदस्यों को सम्मिलित करना और सदस्यों का त्याग पत्र स्वीकार करना 2- हिस्से जारी करना, वापस लौटाना व हस्तान्तरित करना 3- कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पृथक करना तथा किसी अन्य को भी दण्डित करना 4- अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा किये गये आवश्यक व्यय की स्वीकृति देना 5- समिति कारोबार को चलाने के हेतु ऋण तथा धरोहर के रूप में प्राप्त करना 6- सदस्यों से प्राप्त की जाने वाली अमानतों संबंधी नियम बनाना व ब्याज दरों का निर्धारण करना 7- सदस्यों को आवश्यक कार्य हेतु उचित प्रतिभूति पर ऋण पत्र व पावती (रसीद) लिखकर निर्धारित सीमा तक ऋण देना तथा खर्चियों द्वारा समय पर वसूली का प्रबन्ध करना 8- समिति के कारोबार से संबंध रखने वाले विषयों पर आवश्यकता होने पर समिति के सदस्य अथवा मंत्री द्वारा दावे या वैधानिक कार्यवाही दायर करना, पैरवी करना जवाबदेही करना समझौता करना अथवा उन मामलों में जो समिति के सदस्य या पदाधिकारियों की ओर से समिति के विरुद्ध हो निर्णय हेतु पंचायती कार्यवाही कराना 9- विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने में से एक या अनेक उप समिति बनाना तथा साधारण सभा की नियमित बैठक बुलाना 10- सदस्यों को दिये जाने वाले ऋणों की योजना व नियम बनाना एवं ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर नियम करना तथा उसकी स्वीकृति साधारण सभा से प्राप्त करना 11- सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के क्रय विक्रय का प्रबन्ध करना 12- किसी केन्द्रीय संस्था के हिस्से खरीदना और उसकी सभाओं में भाग लेने के लिये प्रतिनिधि बनाना 13- परीक्षण शुल्क (आडिट फीस) जमा करना और सहकारी विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति से प्रतिवर्ष समिति के हिसाब का परीक्षण करना 14- सहकारी विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण पत्रों तथा आय-व्यय परीक्षण पत्र पर विचार कराना और अपनी सम्पत्ति सहित उन्हें साधारण सभा में उपस्थित करना 15- वार्षिक हिसाब प्रस्तुत करना और ऐसे लेखें आदि प्रस्तुत करना जो समय समय पर सहकारी विभाग द्वारा वांछनीय हैं 16- समिति की पूंजी को नियमानुसार कार्य में लगाना 17- अन्य ऐसे कार्य करना जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो और जिनकी साधारण सभा में स्वीकृति प्राप्त करली हो 18- कार्य समिति, समिति के कार्य का संचालन करने में एक बुद्धिमान व्यक्ति की भांति कार्य करेगा । प्रत्येक कार्य में सहकारी विधान और उसके अन्तर्गत बने नियम तथा इन उप नियमों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेगी । यदि समिति को कोई हानि सहकारी विधान, नियम तथा इन उप नियमों का उल्लंघन करने से हुई हो तो उसका उत्तरदायित्व कार्य समिति पर होगा
16.	सभापति	<p>सभापति के अधिकार व कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- रूपयें 10000/- तक के ऋण कार्य समिति की स्वीकृति के अधीन स्वीकार करना 2- 25/- रूपये ये अधिक और 500/- रूपये से कम तक आवश्यक व्यय कार्य समिति की स्वीकृति के अधीनस्थ स्वीकार करना 3- चैक, बिल तथा दस्तावेजात पर मंत्री के सहित हस्ताक्षर करना 4- किसी भी कार्य समिति के सदस्य को मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री के पद पर काम करने निमित्त आदेश देना 5- अन्य आवश्यक कार्यों का निपटाना
17.	सचिव	<p>सचिव के कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- समिति के हिसाब किताब तथा अन्य रजिस्टर तिथिवत् पूर्ण रखना 2- रसीदें, वाउचर तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना 3- साधारण सभा तथा कार्य समिति के नियमानुसार बैठकें बुलाना 4- साधारण सभा तथा कार्य समिति की सभाओं में उपस्थित रहना, कार्य विवरण रजिस्टर में लिखना और सदस्यता के प्रमाण स्वरूप उस पर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना 5- सदस्यों को 1000/- रूपये तक के ऋण कार्य समिति की स्वीकृति के अधीनस्थ स्वीकार कराना तथा 25/- रूपये तक व्यय कार्य समिति की स्वीकृति के अधीनस्थ करके समिति के आवश्यक कार्य पूर्ण करना 6- समिति की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना व लिखे गये दस्तावेज आदि पर हस्ताक्षर करना 7- वार्षिक हिसाब तथा अन्य आवश्यक नक्शे आदि प्रस्तुत करना 8- कार्य समिति द्वारा दिये गये ऋणों को उपयुक्त रूप में व्यय किये जाने की देखरेख करना तथा समय पर वसूली का प्रबन्ध करना 9- अन्य ऐसे कार्य करना जिन्हें कार्य समिति ने स्वीकार किया हो । 10- कार्य समिति को अधिकार होगा कि वह सचिव की सहायता के लिये सदस्यों में से किसी को सहायक सचिव नियुक्त करदे और उसे सचिव के समस्त अथवा आंशिक अधिकार देदे ।
18.	कोषाध्यक्ष	<p>(क) समस्त द्रव्य जो समिति में आवे कोषाध्यक्ष के पास रहेगा और कार्य समिति के आदेशानुसार व्यय किया जावेगा ।</p> <p>(ख) कोषाध्यक्ष समिति का समस्त आय व्यय रोकड बही में लिखेगा और रोकड बही की सत्यता के प्रमाणस्वरूप रोकड बही में हस्ताक्षर करेगा ।</p> <p>(ग) सहकारी विभाग के अधिकारी या मंत्री, अध्यक्ष तथा कार्य समिति द्वारा मांगने पर कोषाध्यक्ष को शेष धन तत्काल उपस्थित करना होगा ।</p>

19.	समिति के लेखे व रजिस्टर	कार्य संचालन के लिये समिति में निम्नलिखित रजिस्टर रहेंगे :- 1- कार्य विवरण रजिस्टर 2- सदस्य रजिस्टर 3- रोकड बही, जिससे आय-व्यय व श्री रोकड ज्ञात हो 4- खाता बही, जिसमें प्रत्येक सदस्य का पृथक पृथक हिसाब लिखा जावे 5- रसीद बुक व पास बुक 6- प्रतिज्ञा पत्र रजिस्टर 7- वार्षिक सार संग्रह जिसमें सभी खातों का वर्षफल, शेष लेन-देन एक स्थान पर अंकित किया जायेगा तथा वार्षिक कारोबार के नक्शें अंकित कये जावेंगे । 8- अन्य आवश्यक रजिस्टर, जो समिति की सम्पति में आवश्यक हो या सहकारी विभाग द्वारा जिनका रखना आवश्यक किया जावे ।
20.	विवादों का निपटारा एवं अन्य	1- समस्त झगडे जो सदस्यों में तथा कार्य समिति में समिति के उपनियमों अथवा उसके कारोबार के संबंध में होंगे, सहकारी विधान तथा नियमों के अनुकूल पंच निर्णय द्वारा निपटारे जावेंगे । 2- उप-नियमों में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्द्धन राजकीय विधान तथा नियमानुकूल साधारण सभा की बैठक से जो इसी कार्य के लिये बुलवाई गई, दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है किन्तु कार्यान्वित करने से पूर्व उन पर रजिस्ट्रार सहकारी विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है । 3- समिति सहकारी कानून के अनुसार केवल रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग की आज्ञा से भंग की जा सकती है ।